न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

केस संख्या : 53 / 2020

उनवानः– हाबूराम बनाम गोपाल

आज दिनांक 30/3/20 को पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा आज कन्डोनेशन / कार्य स्थगन / कार्यस्थगित किये जाने के कारण, न्यायालय की नहीं हो सकी। पी.ओ.एस. अग्रिम कार्य के लिए / [illegible] पर है। अतः पत्रावली पुनः दिनांक 20/7/20 को पेश हो।

20/7/20 को
पक्षकार प्रार्थी–अप्रार्थी / वादी–प्रतिवादी
पत्रावली वास्ते बहस / साक्ष्य /
प्रा.जवाब / पुनर्विचार
कार्यवाही हेतु दिनांक 18/8/20 को पेश हो।

18/8/20 को
पक्षकार प्रार्थी–अप्रार्थी
पेशी
उपस्थित
कार्यवाही हेतु 18/11/20 को पेश हो।

पत्रावली आज दिनांक 18/4/25 को
पेशी पर वकील प्रार्थी–अप्रार्थी / वादी–प्रतिवादी
उपस्थित हुये। पत्रावली वास्ते बहस / साक्ष्य
कार्यवाही / प्रा.जवाब / पुनर्विचार
कार्यवाही हेतु दिनांक 22/4/25 को पेश हो।

22/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० / अप्रार्थी पु/1 से पु/7 की ओर से अधिवक्ता ने U.T. दी। पत्रावली पेश करने जवाब T.I आगामी पेशी दिनांक 24/4/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

24/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० / अप्रार्थी सं. 2, पु/2 से पु/7 की ओर से मूलवाद में वकालतनामा पेश किया गया। वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने बहस T.I पर सुने जाने का निवेदन किया। बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व मूलवाद पत्रावली का किया गया। अतः न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम T.I दिनांक 13/03/2020 को मूलवाद के निस्तारण तक सम्पन्न किया जाता है। पत्रावली प्रेसल होकर डब नंबर 5 कम हो। निर्णय आज दिनांक 24/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

प्रार्थन
हाबूर
तहस

Scanned with OKEN Scanner